संख्या:2/2023/I/266808/2023/001-46-1002-001-3-2021

प्रेषक,

सुशील कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 जनवरी, 2023

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत 20% धनराशि अल्पसंख्यक वर्ग हेतु 7.50% धनराशि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 0.5% की धनराशि वानिकी कार्यों हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जिले एवं कार्यक्रमवार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग के पत्र संख्या-561-63/विकास/जि.यो.,22-23, दिनांक 04-08-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-23 (सामान्य) में **प्राविधानित धनराशि रू.1600.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ मात्र)** को, वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रशासकीय अनुमोदन सहित, **संलग्नक** में जनपदवार/ कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये लक्ष्य/फांट के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में यथा नियम उसी सीमा तक धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में बजट का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों:-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या-24/2022/मु.मं.28/22/46-1002/56/2019, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) के तथा शासनादेश संख्या-1533/52-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2013-सा (30)/13, दिनांक 24 अगस्त, 2013 में अल्पसंख्यकों के लिये 20 प्रतिशत मात्राकृत किये जाने के निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-285/26-3--2-2014-3(15)/2007-टी.सी., दिनांक 03 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या:85 सी.डी./46-3-16-5/2016 दिनांक-04.02.2016 के अनुसार 17 पिछडी जातियों हेतु 7.5 प्रतिशत तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-24 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान, बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति (दिनांक 31.03.2023) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय नियमानुसार सक्षम स्तर की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

(5) योजना में निहित राज्य/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,00,00,000 (रुपये सोलह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 023 **लेखा शीर्षक** 2401001080600 गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-6-102-दस-2022-2023, दिनांक 16 जनवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकःउपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

संख्या:2/2023/I/266808/2023/, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., लखनऊ।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त (द्वारा गन्ना आयुक्त)।
10. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी (द्वारा गन्ना आयुक्त)।
11. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी (द्वारा गन्ना आयुक्त)।
12. संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र., (द्वारा गन्ना आयुक्त)।
14. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:2/2023/I/266808/2023/001-46-1002-001-3-2021

दिनांक 25 जनवरी, 2023 का संलग्नक।

गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-23 में (सामान्य) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कार्यक्रमवार/जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 7.50 प्रतिशत धनराशि अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकों हेतु 20 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि एवं वानिकी कार्य हेतु 0.50 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि।

(धनराशि रूपये में)

क्र. सं.	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम		
		अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	56250	150000	543750	150750	402000	1457250	1530	4095	14790
2	मुजफ्फरनगर	96200	256750	930800	219950	586575	2126350	930	2490	9030
3	शामली	31000	83000	359550	85000	225000	838100	1005	2670	9090
योग मण्डल		**183450**	**489750**	**1834100**	**455700**	**1213575**	**4421700**	**3465**	**9255**	**32910**
4	मेरठ	50700	135250	490250	143675	383150	1388975	1245	3315	12030
5	बागपत	25250	17100	78500	134150	57250	332525	1095	660	2460
6	गाजियाबाद	9650	24900	91550	16450	43325	158225	270	675	2520
7	हापुड़	20150	50650	181950	56600	148125	511650	315	1305	4965
8	अलीगढ	0	10000	43000	0	22500	92500	0	135	555
9	बुलन्दशहर	39600	105600	382800	76450	203850	738950	1050	2790	10155
10	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग मण्डल		**145350**	**343500**	**1268050**	**427325**	**858200**	**3222825**	**3975**	**8880**	**32685**
11	मुरादाबाद	0	140000	561000	0	300000	1200000	0	3600	14400
12	रामपुर	23500	47000	166500	55300	110600	387100	720	1440	5025
13	अमरोहा	35500	94050	332250	93375	241125	1926250	1275	3075	10920
14	बिजनौर	108200	302550	1127700	442500	1245450	4529175	2430	6420	23415
15	सम्भल	0	47600	190400	0	142000	568000	0	1275	5100
योग मण्डल		**167200**	**631200**	**2377850**	**591175**	**2039175**	**8610525**	**4425**	**15810**	**58860**
16	बरेली	63000	140000	540000	135000	360000	1333375	1200	3210	11835
17	बदायूं	30000	40000	200000	50000	75000	350000	345	900	1995
18	पीलीभीत	40550	108050	391650	103550	276125	1001000	1320	3510	12720
19	शाहजहांपुर	37300	99400	361300	95450	254650	924875	1005	2670	10380
20	कासगंज	13500	36000	130500	16875	45000	163125	165	420	1515
योग मण्डल		**184350**	**423450**	**1623450**	**400875**	**1010775**	**3772375**	**4035**	**10710**	**38445**
21	लखीमपुरखीरी	206950	569200	1887700	503175	1456450	4803350	7785	17460	67950
22	सीतापुर	78750	210000	761250	206250	550000	1993750	2250	6000	21750
23	रायबरेली	0	20000	60000	0	20000	150000	0	300	990
24	फरूर्खाबाद	4600	12300	44500	11800	31400	113800	150	390	1395
25	हरदोई	27950	50500	211750	135750	150250	822750	945	1845	7380
26	कानपुर	750	2000	7250	3750	10000	36250	45	90	360
योग मण्डल		**319000**	**864000**	**2972450**	**860725**	**2218100**	**7919900**	**11175**	**26085**	**99825**
27	फैजाबाद	19500	52000	188500	47400	126400	458200	585	1560	5655

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28	सुल्तानपुर	5400	14350	51950	13750	36675	132925	195	510	1860
29	बाराबंकी	5350	14200	51450	13325	35500	128675	195	510	1845
30	जौनपुर	1500	4000	14500	10500	28000	101500	60	165	600
31	गाजीपुर	1500	4000	14500	10500	28000	101500	60	165	600
32	वाराणसी	1500	3000	19500	6700	12500	72500	60	150	555
33	अम्बेडकरनगर	5000	25000	91000	25000	62500	250000	150	750	3000
योग मण्डल		**39750**	**116550**	**431400**	**127175**	**329575**	**1245300**	**1305**	**3810**	**14115**
34	गोण्डा	33700	96350	351600	85200	243325	888125	1125	3120	11355
35	बलरामपुर	48600	129600	396200	111500	310425	1117000	1350	3000	12900
36	बहराईच	34500	96600	350400	87725	233800	796475	180	1650	4770
योग मण्डल		**116800**	**322550**	**1098200**	**284425**	**787550**	**2801600**	**2655**	**7770**	**29025**
37	गोरखपुर	2250	6000	21750	5700	15200	55100	60	165	585
38	बस्ती	28950	82800	302250	78750	225000	821250	950	2655	9690
39	महराजगंज	8500	24550	89700	22675	60500	219325	345	870	3180
40	सिद्धार्थनगर	2100	5500	22500	4250	11250	40875	90	240	825
योग मण्डल		**41800**	**118850**	**436200**	**111375**	**311950**	**1136550**	**1445**	**3930**	**14280**
41	कुशीनगर	41250	115000	415000	112000	287550	1125000	690	1800	6495
42	देवरिया	4500	12000	43500	12000	32000	116000	60	195	720
43	मऊ	10000	20000	100000	16500	15000	200000	225	300	2250
44	बलिया	1600	4400	16000	3750	10000	38250	30	75	300
45	आजमगढ	24600	65500	237400	100300	267500	969700	840	2400	8745
योग मण्डल		**81950**	**216900**	**811900**	**244550**	**612050**	**2448950**	**1845**	**4770**	**18510**
सम्पूर्णयोग		**1279650**	**3526750**	**12853600**	**3503325**	**9380950**	**35579725**	**34325**	**91020**	**338655**

क्र. सं.	नाम जनपद	आधार बीज यातायात कार्यक्रम			मृदा एवं बीजभूमि उपचार कार्यक्रम			पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम		
		अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य
1	**2**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	सहारनपुर	6146	16394	59444	150000	400000	1400000	82800	210000	810000
2	मुजफ्फरनगर	6510	17360	62958	290000	870000	2750000	97500	255000	960000
3	शामली	4340	11256	44730	60000	150000	580000	18000	61500	241500
योग मण्डल		**16996**	**45010**	**167132**	**500000**	**1420000**	**4730000**	**198300**	**526500**	**2011500**
4	मेरठ	7098	18935	68635	39500	105000	380500	6750	18000	65250
5	बागपत	2394	2170	8722	121000	138500	431500	55500	169950	187500
6	गाजियाबाद	1351	3486	12817	19000	50000	180000	9900	26550	96300
7	हापुड़	2821	7091	25473	30000	85000	300000	17250	44250	149700
8	अलीगढ	0	420	1778	0	37000	124000	0	7950	36450
9	बुलन्दशहर	5474	14588	52878	56500	150000	543500	58500	141300	492000
10	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग मण्डल		**19138**	**46690**	**170303**	**266000**	**565500**	**1959500**	**147900**	**408000**	**1027200**
11	मुरादाबाद	0	14000	56000	0	300000	1120000	0	69300	284550
12	रामपुर	3290	6580	23310	70000	140000	490000	27000	54000	189000
13	अमरोहा	5047	13006	45857	123000	306500	1235000	61650	156300	642600

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	बिजनौर	15148	42357	157878	328500	850000	3189000	157500	435000	1515000
15	सम्भल	0	6664	26656	0	180000	600000	0	90900	315000
योग मण्डल		**23485**	**82607**	**309701**	**521500**	**1776500**	**6634000**	**246150**	**805500**	**2946150**
16	बरेली	4942	13244	45136	120000	310000	1100000	30150	79800	289050
17	बदायूं	1848	4900	14994	25000	55000	200000	9450	27000	90000
18	पीलीभीत	5677	15127	54831	150000	400000	1300000	78750	210000	761250
19	शाहजहांपुर	5292	13986	50792	130000	300000	1200000	73200	195300	707850
20	कासगंज	735	1960	7105	8000	21000	75000	3300	8700	31500
योग मण्डल		**18494**	**49217**	**172858**	**433000**	**1086000**	**3875000**	**194850**	**520800**	**1879650**
21	लखीमपुरखीरी	26922	70987	240646	360000	900000	3500000	195000	525000	1930000
22	सीतापुर	10500	28000	101500	280000	750000	2700000	112500	300000	1080000
23	रायबरेली	0	1498	3997	1500	18000	70000	1050	5850	21750
24	फरूर्खाबाद	644	1750	6300	17000	45000	150000	8850	23850	86400
25	हरदोई	3913	7070	29645	65000	134000	449000	22500	46500	163500
26	कानपुर	105	196	1015	2000	5000	17000	600	1650	5850
योग मण्डल		**42084**	**109501**	**383103**	**725500**	**1852000**	**6886000**	**340500**	**902850**	**3287500**
27	फैजाबाद	1995	5320	19285	60000	150000	570000	33750	90000	322500
28	सुल्तानपुर	756	2009	7273	24000	60000	220000	9300	24750	64650
29	बाराबंकी	749	1988	7203	17000	46000	150000	8850	23700	85650
30	जौनपुर	210	560	2030	3000	9000	30000	1200	3450	12450
31	गाजीपुर	210	560	2030	3000	9000	30000	1350	3450	12450
32	वाराणसी	210	420	2730	3000	8000	29000	1350	3450	12450
33	अम्बेडकरनगर	749	3500	12740	32000	45000	240000	7500	17550	52500
योग मण्डल		**4879**	**14357**	**53291**	**142000**	**327000**	**1269000**	**63300**	**166350**	**562650**
34	गोण्डा	4606	13160	48034	110000	310000	1100000	62250	177900	615000
35	बलरामपुर	5740	15400	55300	15000	40000	140000	77250	202200	756000
36	बहराईच	2331	6230	23436	92000	247000	790000	25650	68550	248700
योग मण्डल		**12677**	**34790**	**126770**	**217000**	**597000**	**2030000**	**165150**	**448650**	**1619700**
37	गोरखपुर	315	847	3080	4500	12000	40000	2250	6150	24000
38	बस्ती	4053	11598	42315	60000	118000	500000	22500	46500	164250
39	महराजगंज	1190	3437	12558	21000	55000	210000	16350	43800	159450
40	सिद्धार्थनगर	294	770	3171	2000	6000	21000	750	1950	7650
योग मण्डल		**5852**	**16652**	**61124**	**87500**	**191000**	**771000**	**41850**	**98400**	**355350**
41	कुशीनगर	6195	16422	58478	150000	350000	1250000	49500	132000	475000
42	देवरिया	119	399	1477	10000	35000	120000	4800	15750	58650
43	मऊ	525	700	4200	4000	12000	38000	3750	9900	45750
44	बलिया	224	616	2240	1500	4000	14500	600	1600	6600
45	आजमगढ	2247	5698	21749	29000	70000	250000	6750	18000	65600
योग मण्डल		**9310**	**23835**	**88144**	**194500**	**471000**	**1672500**	**65400**	**177250**	**651600**
सम्पूर्ण योग		**152915**	**422659**	**1532426**	**3087000**	**8286000**	**29827000**	**1463400**	**4054300**	**14341300**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र. सं.	नाम जनपद	बायो फर्टिलाईजर/वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम			वानिकी कार्य हेतु	कुलयोग
		अन्य पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य		
1	2	21	22	23	24	25
1	सहारनपुर	109200	289800	1080000	33713	7427912
2	मुजफ्फरनगर	175800	470400	1680000		11864603
3	शामली	42600	84600	300000	0	3232941
योग मण्डल		327600	844800	3060000	33713	22525456
4	मेरठ	131600	82800	289800	0	3822458
5	बागपत	89400	102000	319800		2277426
6	गाजियाबाद	14400	38400	140400	0	940169
7	हापुड़	22200	60600	238800	0	1958895
8	अलीगढ	0	18000	74400	0	468688
9	बुलन्दशहर	37200	99600	363000	0	3575785
10	मथुरा	0	0	0	0	0
योग मण्डल		294800	401400	1426200	0	13043421
11	मुरादाबाद	0	192000	898200	0	5153050
12	रामपुर	55800	111000	381000	0	2348165
13	अमरोहा	93000	233400	946800	0	6599980
14	बिजनौर	261000	693000	2513400	0	17945623
15	सम्भल	0	144000	522000		2839595
योग मण्डल		409800	1373400	5261400	0	34886413
16	बरेली	87600	220200	820200	0	5707942
17	बदायूं	45600	75000	250000	0	1547032
18	पीलीभीत	117000	307800	1105200	0	6444110
19	शाहजहांपुर	106200	281400	252000		5103050
20	कासगंज	5400	14400	52200	0	636400
योग मण्डल		361800	898800	2479600	0	19438534
21	लखीमपुरखीरी	262800	540000	2700000		20771375
22	सीतापुर	72000	180000	660000	50425	10154925
23	रायबरेली	0	4800	34800	1685	416220
24	फरूर्खाबाद	12600	34200	125400		732329
25	हरदोई	57000	123000	471000	0	2981248
26	कानपुर	1200	3000	12600	0	110711
योग मण्डल		405600	885000	4003800	52110	35166808
27	फैजाबाद	31800	84000	304200	12980	2585630
28	सुल्तानपुर	8400	22800	81000	4257	786810
29	बाराबंकी	12600	33600	120600	3895	762885
30	जौनपुर	1800	5400	19800	1272	250997
31	गाजीपुर	1800	5400	19800	1241	251116
32	वाराणसी	1800	4800	17400	987	202062
33	अम्बेडकरनगर	27000	36000	150000	0	1086939
योग मण्डल		85200	192000	712800	24632	5926439

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

34	गोण्डा	89400	254400	928800	28136	5455586
35	बलरामपुर	114000	300000	1080000	27109	4958574
36	बहराईच	43200	114000	419400	19062	3705659
योग मण्डल		246600	668400	2428200	74307	14119819
37	गोरखपुर	3000	6000	21600	0	230552
38	बस्ती	57000	123000	471000	16418	3188929
39	महराजगंज	25200	66000	239400		1283030
40	सिद्धार्थनगर	1200	6000	9600	0	148015
योग मण्डल		86400	201000	741600	16418	4850526
41	कुशीनगर	132000	345000	1260000	31685	6361065
42	देवरिया	13200	33600	123000	0	636970
43	मऊ	4200	10200	36000	0	533500
44	बलिया	1200	3000	10800	0	121285
45	आजमगढ	17400	46200	168000	12135	2389764
योग मण्डल		168000	438000	1597800	43820	10042584
सम्पूर्ण योग		**2385800**	**5902800**	**21711400**	**245000**	**160000000**

(रूपये सोलह करोड़ मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।